NBT
नवभारत टाइम्स

डेयरी चलानी है तो लेना होगा FSSAI से लाइसेंस

BSudamaYadav

Navbharat Times | Updated: 14 Aug 2019

दिल्ली में जो लोग डेयरी चला रहे हैं, उन्हें अब डेयरी प्रोडक्ट बेचने के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) से लाइसेंस लेना होगा। डेयरी खोलने के लिए अब दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी (डीपीसीसी) से भी एनओसी लेनी होगी। इसके बिना किसी को भी नई डेयरी खोलने का इजाजत एमसीडी नहीं देगी।

डेयरी खोलने के लिए जो लाइसेंस पॉलिसी है, उसमें संशोधन किया गया है। साउथ एमसीडी के वेटरनरी विभाग के अफसरों के अनुसार, 30 जुलाई को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने डेयरियों को लेकर एक मीटिंग बुलाई थी। इस दौरान दिल्ली में वैध या अवैध रूप से चल रहीं डेयरियों के बारे में चर्चा की गई। डेयरी चलाने के लिए मौजूदा लाइसेंस पॉलिसी पर भी विचार किया गया। इसमें संशोधन कर कुछ नए नियमों को शामिल करने का आदेश चीफ सेक्रेटरी ने दिया, ताकि न तो अवैध रूप से कोई डेयरी खोले और न ही पल्यूशन की समस्या हो।

इसके अलावा डेयरियों में जो लोग पशुओं का दूध निकाल कर बेचते हैं, उसकी क्वॉलिटी भी नजर रखी जा सके। नए नियमों में डेयरी चलाने वाले लोग अगर पशुओं के दूध बेचना चाहते हैं, तो उन्हें एफएसएसएआई से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस मिलने के बाद ही वे दूध या डेयरी प्रॉडक्ट बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, डेयरी चलाने के लिए केवल उन लोगों को ही लाइसेंस दिया जाएगा, जिनका रजिस्ट्रेशन दिल्ली एनिमल हसबेंडरी यूनिट में पहले से होगा।

एमसीडी अफसरों का कहना है कि डेयरी खोलने के लिए मौजूदा पॉलिसी में ये चीजें शामिल नहीं थीं। इसलिए इन चीजों को भी अब शामिल किया गया है, ताकि डेयरी प्रॉडक्ट और दूध की क्वॉलिटी खराब होने पर डेयरी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। डेयरी संचालकों के खिलाफ दूध की क्वॉलिटी को लेकर ढेरों शिकायतें एमसीडी अफसरों से लोग करते थे, लेकिन पॉलिसी में इसके खिलाफ एक्शन लेने का कोई प्रावधान ही नहीं था। इससे डेयरी संचालक असानी से बच निकलते थे।